102

न्यायालय श्रीमान् पीठासीन अधिकारी, राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा (म0प्र0)

480
26.10.15

नीरज सिंह तनय रहीश सिंह, निवासी ग्राम रगौली, तहसील सेमरिया, जिला रीवा (म0प्र0) ————निगरानीकर्ता

बनाम

1– जयप्रकाश तनय रामलखन ब्रा0 निवासी ग्राम बदरांव तिवरियान, तहसील सिरमौर, जिला रीवा (म0प्र0)

2– गणेशदत्त तनय बाणेश्वर प्रसाद ब्रा0 निवासी ग्राम झिरिया, तहसील सिंरमौर, जिला रीवा (म0प्र0)

3– रामबालक
4– भीमसेन } तीनो पुत्रगण ईश्वरदीन ब्रा0
5– हरिनारायण

6– रामनिहोर तनय रामचन्द्र ब्रा0

सभी निवासी ग्राम–पड़री, तहसील–सिरमौर, जिला रीवा (म0प्र0)

————**गैरनिगरानीकर्तागण**

26.10.15

निगरानी विरूद्ध आदेश श्रीमान् अपर कमिश्नर रीवा संभाग रीवा पेश अपील क्र0–547/अपी0/14–15 में पारित आदेश दिनांक 23/09/2015

निगरानी अंतर्गत धारा 50 भू–राजस्व संहिता 1959 ई0

मान्यवर,

आधार निगरानी निम्न है :–

1– यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नाधीन आदेश विधि व प्रक्रिया के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

2– यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने परीक्षण न्यायालय के आदेश एवं उसमें निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो का सही तरीके से अवलोकन किये बगैर उचित मूल्यांकन किये बगैर जो विधि विरूद्ध तरीके से निष्कर्ष निकालकर प्रश्नाधीन आदेश पारित किया है अवैधानिक होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

3– यह कि विवादित भूमियां आवेदक के स्वत्व अधिपत्य एवं कब्जे दखल की भूमियां है, राजस्व अभिलेखो में सन् 2008–09 तक विधिवत खसरे के कॉलम नं0–3 में निगरानीकर्ता का नाम अनवरत

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 5129–दो/2015 जिला रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15–5–2017	आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त रीवा के प्रकरण कमांक 547/अपील/14–15 में पारित आदेश दिनांक 23–9–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। प्रश्नाधीन आदेश की सत्यापित प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर अनावेदकगण द्वारा तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत नामांतरण आवेदन पर तहसीलदार ने अनावेदकगण के पक्ष में नामांतरण के आदेश गये को अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा यथावत रखा है। तीनों अधीनस्थ न्यायालय के समवर्ती निष्कर्ष में प्रथमदृष्टया को आधार इस निगरानी में प्रकट नहीं होते है। दर्शित परिस्थितियों में यह निगराधीन आधारहीन होने से ग्राह्यता के स्तर पर ही निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (एस0एस0 अली) सदस्य	